प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.11.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का यक्ष एप के माध्यम से सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप व 1 लाख 70 हजार रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 15.11.2026 को वादी सौरभ कुमार निवासी गांव परौरा थाना बरला जिला अलीगढ द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी कि दिनांक 12.11.2026 को HP पैट्रोल पम्प थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र मे अपनी मजबूरी बताकर 01 व्यक्ति द्वारा उससे कही बात करने के लिए फोन लिया गया, जैसे ही वादी द्वारा उस व्यक्ति को फोन दिया गया तो वह व्यक्ति उसका फोन लेकर भाग गया जैसे ही वादी द्वारा उसका पीछा किया गया तो उस व्यक्ति के दूसरे साथी द्वारा उसका बैग उठाकर वहां से दोनो व्यक्ति भाग गये। वादी के बैग मे उसका लैपटॉप, ATM कार्ड व 40 हजार रुपये नकद थे तथा वादी के ATM कार्ड से उन अज्ञात व्यक्तियो द्वारा रुपये भी निकाले गये। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2)/318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया तो अभियुक्त गण को फुटेज के आधार पर उनके फोटो को **यक्ष एप पर चैक किया गया** तो दोनो अभियुक्त गण की पहचान (1) रविन्द्र उर्फ बौना पुत्र जयप्रकाश निवासी गिरधारी नगर थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ (2) लक्की पुत्र पिंटू निवासी गिरधारी नगर थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ के रुप मे हुई तथा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तो की तलाश की गयी।

आज दिनांक 20.11.2026 को रात्रि मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त (1) रविन्द्र उर्फ बौना व (2) लक्की उपरोक्त को तिगरी गोल चक्कर के पास अम्बुज सिटी के पीछे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 बैग, 01 लैपटॉप, 1 लाख 70 हजार रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 12.11.2026 को HP पैट्रोल पम्प के पास से हमने एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा कर लालच दिया जिससे उस लडके ने हमें अपना मोबाइल दे दिया था तथा हमने उसे बातों में लगाकर उससे उसके एटीएम से 15000 रूपये भी निकलवाकर ले लिये थे तथा उसका यूपीआई पिन भी पूछ लिया था तथा इसके बाद हम दोनों उसे धोखा देकर उसका मोबाइल व बैग लेकर वहाँ से भाग गये थे। उस लडके के बैग में एक लैपटाप मिला था जिसे हम दोनों ने बेंचने का सोचकर रख लिया था। बैग का बाकी सामान रास्ते में फेंक दिया था तथा हम दोनों ने उसका यूपीआई पिन इस्तेमाल कर उसके एकाउंट से पैट्रोल पम्प पर, जन सेवा केन्द्र तथा और कई जगहों पर दूसरे लोगों को अपनी झूठी मजबूरी बताकर उनके एकाउंट में पैसे डालकर उनसे कैश रूपये ले लिये तथा लगभग 2 लाख 80 हजार रूपये निकाल लिये थे तथा हम दोनों के हिस्से में अलग- अलग 1 लाख 40 हजार रूपये आये जिनमें से कुछ रूपये हमने मौज मस्ती में खर्च कर लिये तथा बाकी 1 लाख 70 हजार रूपये हमारे पास थे। जब यूपीआई बंद हो गया तब हमने मोबाइलो को भी रास्ते चलते कहीं नाले में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) रविन्द्र उर्फ बौना पुत्र जयप्रकाश निवासी गिरधारी नगर थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 32 वर्ष।

(2) लक्की पुत्र पिंटू निवासी गिरधारी नगर थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 बैग, 01 लैपटॉप,

1 लाख 70 हजार रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त रविन्द्र उर्फ बौना उपरोक्त के विरुद्ध थाना हापुडनगर हापुड पर टप्पेबाजी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना हापुड देहात पर बिजली चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना सिहानीगेट गाजियाबाद पर टप्पेबाजी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना सै0 63 गौतमबुद्धनगर पर आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध डोडा पोस्त की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद ।

आज दिनांक 20.11.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध डोडा पोस्त की तस्करी करने वाला अभियुक्त सुशील उर्फ भीम पुत्र इन्द्रपाल उर्फ कालू निवासी ग्राम नगला बैर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को अमराला अण्डरपास के पास थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे डोडा पोस्त को बाहर से सस्ते दामों में लाकर आसपास के क्षेत्रों में फुटकर में बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ। आज मैं डोडा पोस्त को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सुशील उर्फ भीम पुत्र इन्द्रपाल उर्फ कालू निवासी ग्राम नगला बैर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र, करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।